रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3806] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 26, 2018/आश्विन 4, 1940
No. 3806] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 26, 2018/ASVINA 4, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2018

**का.आ. 4984(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, 'उत्तराखंड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण', देहरादून जोकि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित निकाय है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(क) सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(ख) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण शुल्क;

(ग) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन शुल्क;

(घ) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में दिए गए प्रावधानों के उल्लघंन के लिए जुर्माना;

(ड़) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत प्राप्त विलंब शुल्क;

(च) सुचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त शुल्क;

(छ) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के खंड 75(1)(ग) के अनुसार उपर्युक्त राशियों पर उपार्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'उत्तराखंड भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण', देहरादून -

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए लागू समझी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 57/2018/ फा. सं. 300196/41/2018-आईटीए-I]

विनयशील गौतम, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापनः** यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।